न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—341 / 2011 / 75 (2011 / 00064)

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र हजारी, जाति माली, निवासी सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
1 / 1— श्रीमती हीरादेवी पत्नि स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1 / 2— कन्हैयालाल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1 / 3— महावीर पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1 / 4— कान्ता पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1 / 5— सीता पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण,
1 / 6— मंजू पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण,
समस्त जाति माली, नि0 वार्ड न0 11 किला का चौक, सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 2.12.2005 क्रमांक एफ. 12(सी)4 / राजस्व / 05 / 117.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः—26.03.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ. 12(सी)4 / राजस्व / 05 / 117 दिनांक 2.12.2005 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक एफ.12(सी)4 / राजस्व / 05 / 117 दिनांक 2.12.2005 के द्वारा तहसील सरवाड़ की 27 किता की कुल आराजी 146—17—00 बीघा भूमि नगर पालिका, सरवाड़ को हस्तातंरण करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खसरा नंबर 1307 रकबा 7—18—00 एवं खसरा नंबर

1309/1 रकबा 15 बिस्वा ग्राम सरवाड़, तह0 सरवाड़ में अवस्थित है । उक्त आराजियात के पूर्व दिशा में लगते हुए खसरा संख्या 1308 रकबा 2–14–00 बीघा अवस्थित है जिस में से 5 बिस्वा भूमि रास्ते की छोड़कर शेष 2–09–00 बीघा किस्म बारानी दोयम पर अपीलांट कदीमी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर खसरा संख्या 1308, 1307, 1309/1 का एक ही खेत कदीम से मुर्तिब है जिस पर अपीलांट अपने एवं अपने परिवार का जीवकोपार्जन करता चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1308 पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर, अजमरे ने अन्य आराजियात के साथ–साथ विवादित आराजी को जरिये आदेश दिनांक 2.12.2005 के तहत नगर पालिका सरवाड़ को हस्तातंरण करने के आदेश पारित किये है जबकि उक्त आराजिया का नगर पालिका को कब्जा नहीं दिया गया है। विद्वान जिला कलक्टर ने मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज0सरकार में प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत जाकर अपीलाधीन हस्तातंरण/आवंटन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 2.12.2005 की शर्ते एवं निबन्धन संख्या 1 के अनुसार नगर पालिका को उक्त भूमि के लगान का 40 गुणा पूंजिगत मूल्या जमा करवाना होगा तथा 2 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यदि उक्त भूमि की कोई रिजर्व प्राईस एवं अन्य कोई राशि वसूली योग्य ठहराई जावेगी तो वह नगर पारिलका सरवाड़ को जमा करानी होगी तथा नियम 7 के अनुसार तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा नगर पालिका सरवाड़ से उक्तानुसार राशि वसूल करने एवं अन्डरटेकिग लेने के बाद ही भूमि का कब्जा संभलाया जावेगा, लेकिन नगर पालिका सरवाड़ द्वारा जिला कलक्टर के आदेश की कोई पालना आज दिनांक तक नहीं की गई है, इसी कारण तहसीलदार सरवाड़ द्वारा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को दिनांक 25.11.2009 को पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान् के आदेश दिनांक 2.12.2005 से रकबा 146–17–00 बीघा के बजाय संशोधित आदेश दिनांक 27.12.2005 के तहत 147–01–00 बीघा भूमि की कीमत वसूल करने हेतु निर्देशित किया था इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि की कीमत राशित जमा नहीं करवाई गई है अतः उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कर राजस्व अभिलेख में पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश जारी फरमावे जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि नगर पालिका सरवाड़ को गलत रूप से आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है । बहस में आगे कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 2.12.2005 के अनुसार खसरा नंबर 1478 रकबा 4–5–00 बीघा गैर मु0रास्ता एवं खसरा संख्या 1496/1 रकबा 5–5–00 बीघा गै0मु0तालाब तथा खसरा संख्या 1360 रकबा 4–4–00 बीघा तथा 1361 रकबा 15–4–00 बीघा गै0मु0 छापर की भूमियां है जो आवंटन नहीं की जा सकती थी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जिला कलक्टर, अजमेर के आवंटन आदेश दिनांक 2.12.2005 को खसरा संख्या 1308 रकबा 2–14–00 बीघा में से 5 बिस्वा रास्ता की भूमि को छोड़कर शेष 2–09–00 बीघा की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधी0न्याया0 के आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं थी । दिनांक 6.6.2011 को प्रार्थी ने हल्का पटवारी से संपर्क कर प्रार्थी के खेत में सम्मिलित खसरा संख्या 1308 रबा 2–09–00 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम नियमन करवाने हेतु कार्यवाही करने बाबत् पूंछा तो पटवारी हलका ने बताया कि उक्त भूमि नियमन नहीं हो सकती है क्योंकि यह तो पूर्व में जिला कलक्टर के आदेश से नगर पालिका सरवाड़ को आबादी विस्तार हेतु प्रदान कर दी है । इसके

उपरांत प्रार्थी ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश की जानकारी कर, निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से नगर पालिका, सरवाड़ को आबादी विस्तार हेतु हस्तांतरित की है । अपीलांट ने विवादित आराजी पर कब्जे काश्त के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अपनी अपील में विवादित भूमि खसरा नंबर 1308 रकबा 2–09–00 बीघा पर कब्जा होने के आधार पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से नगर पालिका, सरवाड़ को आबादी विस्तार हेतु हस्तातंरित की गई है । विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश में क्या त्रुटि है अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । अपीलांट के यदि विवादित भूमि पर कोई वैध अधिकार है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित हस्तातरंण आदेश दिनांक 2.12.2005 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित हस्तातंरण आदेश दिनांक 2.12.2005 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर